



प्रेसनोट, दिनांक 16.09.2025
थाना फतेहपुर चौरासी, जनपद
उन्नाव ।

दुष्कर्म के आरोपी 02 अभियुक्त गिरफ्तार

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव के कुशल निर्देशन में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में थाना फतेहपुर चौरासी पुलिस द्वारा दुष्कर्म के आरोपी 02 अभियुक्तों गिरफ्तार को गिरफ्तार किया गया ।

संक्षिप्त विवरण:- आज दिनांक 16.09.2025 को उ0नि0 श्री कृष्णेन्द्र कुमार मय हमराह पुलिस फोर्स द्वारा थाना फतेहपुर चौरासी पर पंजीकृत मु0अ0सं0-355/2025 धारा 70(1) BNS व 3(2)v SC/ST Act में वांछित दो अभियुक्तगण 01. परवेज खान पुत्र शमशाद खान उम्र करीब 30 वर्ष निवासी मोहल्ला मोती नगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव 02. धर्मपाल सिंह उर्फ ठर्रे पुत्र सुन्दर सिंह उम्र करीब 35 वर्ष निवासी मोहल्ला फिरोज नगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव को वैष्णवी ढाबा के पास से गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार अभियुक्तों को माननीय न्यायालय के समक्ष पेश किया गया।

नाम पता अभियुक्तगण-

1. परवेज खान उम्र करीब 30 वर्ष पुत्र शमशाद खान निवासी मोहल्ला मोती नगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव ।
2. धर्मपाल सिंह उर्फ ठर्रे उम्र करीब 35 वर्ष पुत्र सुन्दर सिंह निवासी मोहल्ला फिरोज नगर कस्बा व थाना फतेहपुर चौरासी जनपद उन्नाव

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

1. उ0नि0 श्री कृष्णेन्द्र कुमार
2. हे0का0 धर्मपाल
3. का0 रोहताश





प्रेसनोट, दिनांक 16.09.2025
थाना गंगाघाट, जनपद उन्नाव

25,000/- रुपये का इनामिया शातिर लुटेरा गिरफ्तार, लुटेरे के कब्जे से लूट के 03 लाख 20 हजार रुपये, सोने-चांदी के जेवरात बरामद

श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जनपद उन्नाव व श्रीमान अपर पुलिस अधीक्षक उत्तरी के कुशल निर्देशन एवं श्रीमान क्षेत्राधिकारी नगर के कुशल पर्यवेक्षण में अपराध एवं अपराधियों के विरुद्ध चलाये जा रहे अभियान के क्रम में एस.ओ.जी, सर्विलांस व थाना गंगाघाट पुलिस की सयुक्त टीम द्वारा 25,000/- हजार रुपये के इनामिया शातिर लुटेरे को गिरफ्तार किया गया तथा लुटेरे के कब्जे से लूट के 3,20,000 रुपये नगद , एक पाजेव सफेद धातु, एक कमर पेटी सफेद धातु, दो टुकड़े पायल के सफेद धातु, एक मंगल सूत्र पीली धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

संक्षिप्त विवरण:- दिनांक 09.09.2025 को मुकदमा वादी श्री राकेश शुक्ला पुत्र स्व० छुन्नू लाल शुक्ला निवासी ब्रम्हनगर बम-2 चौराहा थाना गंगाघाट जनपद उन्नाव द्वारा थाना गंगाघाट पुलिस को तहरीर दी कि तीन अज्ञात व्यक्तियों द्वारा प्रार्थी के घर में घुसकर महिलाओं को बंधक बनाकर लूट की घटना की गई है। प्राप्त तहरीर के आधार पर थाना गंगाघाट पर मु०अ०सं० 549/2025 धारा 309(6) बीएनएस बनाम अज्ञात पंजीकृत किया गया। दौराने विवेचना मुकदमा उपरोक्त में दिनांक 10.09.2025 को अभियुक्तगण 1.रामू पुत्र गुरुप्रसाद निवासी रसूलपुर थाना बछरावां रायबरेली उम्र करीब 40 वर्ष 2.राजू पुत्र हफीज निवासी थुलेण्डी थाना बछरावां रायबरेली उम्र करीब 41 वर्ष तथा दिनांक 12.09.2025 को अभियुक्तगण 03.संतबहादुर उर्फ पंडा पुत्र विजय बहादुर उम्र करीब 45 वर्ष निवाली थाना डलमऊ जनपद रायबरेली 04.बीरेंद्र उर्फ नन्कू यादव पुत्र श्रीराम यादव उम्र करीब 40 वर्ष निवासी 16/397 जेल रोड मैथा जनपद रायबरेली को पूर्व में ही पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया जा चुका है तथा अभियुक्तगणों के कब्जे से लूटे के 08 लाख 5 हजार रुपये, एक लाइसेंस रिवॉल्वर, 03 अदद अवैध तमंचा मय 05 जिंदा व 04 खोखा कारतूस व 02 मोटरसाइकिल बरामद किया गया। मुकदमा उपरोक्त में फरार चल रहे अभियुक्त दीपक पुत्र शहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष की गिरफ्तारी हेतु श्रीमान पुलिस अधीक्षक उन्नाव

द्वारा 25,000/- रुपये के पुरस्कार की घोषणा की गयी थी। आज दिनांक 16.09.2025 को एस.ओ.जी, सर्विलांस व थाना गंगाघाट पुलिस की संयुक्त टीम द्वारा त्रिभुवनखेड़ा तिराहे के पास से मुकदमा उपरोक्त में वांछित व 25,000/- रुपये के इनामिया अभियुक्त दीपक पुत्र शहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष को कब्जे से लूट के 3,20,000 रुपये नगद , एक पाजेब सफेद धातु, एक कमर पेटी सफेद धातु, दो टुकड़े पायल के सफेद धातु, एक मंगल सूत्र पीली धातु बरामद कर गिरफ्तार किया गया।

नाम पता अभियुक्त-

दीपक पुत्र शहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावां जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष

बरामदगी-

- 3,20,000/-रु रुपये नगद
- 01 अदद पाजेब सफेद धातु
- 01 कमर पेटी सफेद धातु
- 02 टुकड़े पायल के सफेद धातु
- 01 मंगल सूत्र पीली धातु काली मूगेदार डोरी

आपराधिक इतिहास -

अभियुक्त दीपक पुत्र सहदेव निवासी रसूलपुर थाना बछरावा जनपद रायबरेली उम्र करीब 30 वर्ष

1. मु0अ0स0 0014/2016 धारा 393 आईपीसी थाना बछरावां जनपद रायबरेली
2. मु0अ0स0 287/2019 धारा 3/25 आयुध अधिनियम 1959 थाना बछरावां जनपद रायबरेली
3. मु0अ0स0 696/2020 धारा 3/25/5 आयुध अधिनियम 1959 थाना बछरावां जनपद रायबरेली
4. मु0अ0स0 122/2018 धारा 392/411 आईपीसी थाना महाराजगंज जनपद रायबरेली
5. मु0अ0स0 549/25 धारा 310(2)/109/317(3) बीएनएस व 3/25/27 आर्मस एक्ट

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम-

एसओजी, सर्विलांस व थाना गंगाघाट पुलिस

